सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 05/17 **निर्णय दिनांक 03.05.2018**

1. रामप्रताप पुत्र गंगाबिशन जाति सुनार निवासी अक्कासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. गोमादेवी पत्नी मूलचन्द जाति प्रजापत निवासी शरह गुजरायत हाल बंगलानगर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
दिनांक 21—10—2016

उपस्थितः—

1. श्री नायबसिंह, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सुनील कुमार, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत के आदेश दिनांक 21—10—2016 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से अपीलांट की खातेदारी भूमि में से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि तहसील कोलायत के ग्राम चाण्डासर के खसरा नम्बर 6 में 8.86 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि में से होकर कभी कोई रास्ता पूर्व में नहीं चल रहा था। रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि वह अपीलांट के खेत से होकर आती जाती थी गलत तथ्य प्रस्तुत किये है। रेस्पोडेन्ट कभी भी अपीलांट के के खेत से आवागमन नहीं करती थी। रेस्पोडेन्ट की भूमि ग्राम शरह गुजरायत के खसरा नम्बर 152/28 में 6.900 हेक्टर भूमि है। रेस्पोडेन्ट अपने खेत में आने जाने हेतु दूसरे रास्ते का उपयोग करती आ रही है जो रास्ता उत्तर दिशा से आता है। राजस्व रिकार्ड में भी अपीलांट के खेत से कोई रास्ता अंकित नहीं है। अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवही एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही एक ही दिन में सम्पूर्ण की गई है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया वह प्रार्थना पत्र दिनांक 06—09—2016 को प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तारीख पेशी दिनांक 29—06—2016 नियत की गई। उक्त दिनांक को अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 29—06—2016 की आदेशिका में अंकित किया गया कि तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जावे व तारीख पेशी 13—09—2016 नियत की गई। जब पत्रावली में पूर्व में 29—06—2016 तारीख पेशी नियत थी तो 13—09—2016 तारीख पेशी कैसे नियत की जा सकती है। तत्पश्चात् पत्रावली में दिनांक 27—09—2016 नियत की गई। इसप्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि तमाम कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा पत्रावली में अपीलांट को जरिये चस्पादंगी नोटिस जारी किया जाना बताया गया है जबकि पत्रावली की आदेशिका में कहीं भी अपीलांट/अप्रार्थी को जरिये

चस्पांदगी नोटिस जारी किये जाने के कोई आदेश नहीं दिये गये है। अदालत मातहत द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को बेजा फायदा पहुॅचानें की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि यदि किसी की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा धारा 251 ए आरटीए में दिये गये प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट को उसकी भूमि पर आने—जाने हेतु पूर्व में ही रास्ता स्वीकृतशुदा है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता किस आधार पर कायम किया गया है। इसका उल्लेख अपने निर्णय में नहीं किया गया है। अदालत मातहत के समक्ष जो रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई है उक्त रिपोर्ट के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट मात्र पटवारी हल्का द्वारा ही तैयार की गई है। जबकि रास्ते जैस महत्वपूर्ण मामलों में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित है कि तहसीलदार स्वयं मौके का निरीक्षण करते हुए सभी पक्षों की मौजूदगी में वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट तैयार करते हुए प्रस्तुत करें। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट को फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से पारित किया गया आदेश परिलक्षित होता है। अदालत मातहत का उक्त आदेश रास्ता नियमों के विपरीत व मनमर्जी का आदेश है। ऐसा आदेश विधिक दृष्टि से शून्य आदेश की परिभाषा का आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। मियांद प्रार्थना पत्र में अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद बाहर होने के कारण मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

उन्होंने आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत करते हुए रेस्पाडेन्ट/प्रार्थी की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 152/28 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा वादगत् भूमि रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उक्त रिपोर्ट में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि मौका व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 152/28 व खसरा नम्बर 6 दोनों दो ग्रामों की सीमा पर स्थित होने से दोनों की सीमा आपस में मिलती है। मौके पर खसरा नम्बर 6 की दक्षिणी पश्चिमी सीमा में से चाण्डासर से अक्कासर जाने वाली ग्रेवल सड़क निकलती है उक्त ग्रेवल सड़क से खसरा नम्बर 6 की दक्षिणी सीमा के पास—पास पश्चित से पूर्व की और कच्चा रास्ता बना हुआ है जो खसरा नम्बर 152/8 तक जाता है तथा उक्त रास्ता मौके पर चालू पाया गया। उक्त खसरा नम्बर 6 में बने रास्ते से रेस्पोडेन्ट/प्रार्थिया व अन्य पड़ौसी खातेदारान् आवागमन करते है। खसरा नम्बर 152/28 में पहुॅचने के लिए अन्य कोई रास्ता अथवा वैकल्पिक रस्ता नहीं है। उक्त रिपोर्ट अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा उसके खेत खसरा में से रास्ता स्वीकृत करने के उपरान्त मुआवजें के रूप में दी जाने वाली राशि प्राप्त कर ली गई है। इसप्रकार अपीलांट स्वयं अपने कृत्य से यह मान चुकी है कि जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह सही एवं उचित है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन कि उसे सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है के कोई मायने नहीं रखती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार व मौके की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा रास्ते की एवज में प्राप्त होने वाली को ग्रहण कर लिया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की लोकस स्टेण्डाई प्राप्त नहीं है व उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते पर उसकी सहमति माना जाना स्वभाविक है।

अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार से प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट को रास्ता उपलब्ध कराते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा स्वीकृत रास्ते से किसी भी पक्षकार को परेशानी नहीं होनी है। क्योंकि उक्त रास्ता सभी के लिए सुविधाजनक रास्ता है तथा खेत खसरे की सींव पर से रास्ता स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार व मौके की स्थिति के अनुसार ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा रास्ते की अत्यांतिक आवश्यक को ध्यान में रखते हुए रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जो विधिक रूप से सही व मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार होने से आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखते हुए अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 1999 पार्ट II पेज 1358, डीएनजे 2001 पार्ट I पेज 422 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने खेत खसरा नम्बर 152/8 में आवागमन हेतु प्रार्थी/अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 6 में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु कथन किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 6 की दक्षिणी सीमा के पास—पास पश्चित से पूर्व की और से रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 06—09—2016 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए आदेशिका में अंकित किया गया कि तहसीलदार कोलायत से मौका व रिकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट जी जावे व पक्षकारान को नोटिस जारी हो तथा पत्रावली में दिनांक 29—09—2016 नियत की गई। नियत दिनांक को पत्रावली में से नोटिस जारी नहीं किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 29—09—2016 की आदेशिका में दिनांक 13—09—2016 नियत की गई व नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 13—09—2016 की आदेशिका के अनुसरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये उक्त नोटिस की पुश्त पर स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि नोटिसदार हाजिर नहीं मिला। तत्पश्चात् पत्रावली में 27—09—2016 व 21—10—2016 नियत करते हुए आदेश जैर अपील परित किये गये। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा की गई तमाम कार्यवाही प्रकरण में संदेह पैदा करती है तथा अपीलाधीन आदेश को दृषित होना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

(3) रास्ते के प्रकरणों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य वादगत् भूमि के संबंध में तैयार की गई मौका रिपोर्ट होती है। प्रस्तुत प्रकरण में हमने अपीलाधीन आदेश व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हमारा अभिमत है कि रास्ते के प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वमेव

मौके पर जाकर मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार किया जाना हितकर होता है। इस संबंध में उच्चतर न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि रास्ते जैसे महत्वपूर्ण मामलों में पटवारी अथवा गिरदावार से रिपोर्ट तैयार करवाये जाने के स्थान पर संबंधित तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर सभी पक्षकारों की मौजूदगी में मौका निरिक्षण करते हुए रिपोर्ट तैयार कर मय नजरी नक्श अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रस्तुत प्रकरण में जो रिपोर्ट तैयार की गई वह संबंधित पटवारी द्वारा तैयार किया जाना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है व उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई राय अथवा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। ना ही उक्त रिपोर्ट में अपीलांट/अप्रार्थी जिसके खेत खसरा नम्बर में से रास्ता कायम किया गया है, उसकी अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

(4) यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित होकर समस्त पक्षकारान् की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी होती है। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट धारा 251ए में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर केवल मात्र संबंधित पटवारी द्वारा बिना अपीलांट/अप्रार्थी की उपस्थिति के तैयार किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित है।

(5) धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। इस क्रम में राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—3(2)रेवें—6/03 पार्ट 07 दिनांक 02—03—2012 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) से नियम 68—70 को जोड़ा गया है। पीड़ित पक्षकार (खातेदार) ऐसी सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन करेगा। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार (प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर

जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। हम अपीलांट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं?

(6) चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत रिपोर्ट मात्र पटवारी हलक द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई है। अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में आनन—फानन में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरीत होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 21—10—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे सभी पक्षकारों की व संबंधित तहसीलदार की मौजूदगी में मौका की वास्तविक स्थिति के अनुसार रिपोर्ट तैयार करवाते हुए प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर